



झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)

पंजीकृत कार्यालयरू इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच. ई. सी., धुर्वा, राँची – 834004

email:- pmkusum.jbvn@gmail.com, Telephone:-0651-2400826 & Fax: 0651-2400799

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest- EOI)

प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट-ए योजना के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 33/11 केभी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से जुड़ने वाले किसानों की अनुपयोगी / बंजर भूमि पर 500 किलोवाट से 02 मेगावाट क्षमता तक का विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु।

प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट—ए योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना अथवा भूमि लीज पर देने के इच्छुक आवेदकों के पंजीकरण हेतु मुख्य बिन्दु

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0), भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट— ए योजना के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत ग्राउण्ड माउन्टेड ग्रिड कनेक्टेड गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र के अधिष्ठापन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अपने कार्यक्षेत्र में कुल 50 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य प्राप्त है।
2. उक्त योजना के तहत कोई किसान / किसानों का समूह / सहकारी समितियां / पंचायत / किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर्स आर्गेनाइजेशन) और जल उपयोगकर्ता संघ (वाटर यूजर्स एसोसिएशन), अपने बंजर/ अनुपजाऊ जमीन पर सौर ऊर्जा से जुड़ा विकेन्द्रीकृत ग्राउण्ड माउन्टेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।
3. इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के अधिकतम 5 कि0मी0 के परिधि के अंतर्गत किसानों द्वारा दी जानी वाली बंजर/ अनुपजाऊ जमीन पर 500 किलोवाट से 02 मेगावाट क्षमता तक का सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन होगा।
4. इस योजना के तहत, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड वैसे 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों की सूची www.jbvnI.co.in पर अधिसूचित करेगा जिसके 05 कि0मी0 के परिधि में अधिकतम 02 मेगावाट क्षमता तक का सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन किया जाना है।
5. प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट— ए योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इच्छुक किसान / किसानों का समूह / सहकारी समितियां / पंचायत / किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर्स आर्गेनाइजेशन) और जल उपयोगकर्ता संघ (वाटर यूजर्स एसोसिएशन) से अपने बंजर/ अनुपजाऊ जमीन का ब्यौरा प्रारूप सं0 1 (फॉर्म – ए एवं फॉर्म – बी में) में वांछित सूचना भरकर आवेदन ई-मेल (pmkusum.jbvnI@gmail.com) के माध्यम से स्वयं अथवा अपने भूमि के नजदीक स्थित या 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से संबंधित सहायक विद्युत अभियंता से सहयोग लेकर दिनांक 10/03/2021 से 12/04/2021 तक उपरोक्त ई-मेल (pmkusum.jbvnI@gmail.com) पर अपना आवेदन भेज सकते हैं।
6. सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन हेतु अर्हता निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	ब्यौरा	मानदंड
6.1	आवेदक	किसान / किसानों का समूह / सहकारी समितियां / पंचायत / किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर्स आर्गेनाइजेशन) और जल उपयोगकर्ता संघ (वाटर यूजर्स एसोसिएशन)
6.2	जमीन का प्रकार	बंजर / अनुपजाऊ भूमि

6.3	प्रस्तावित भूमि	अधिसूचित 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से 5 कि0मी0 के दायरे में स्थित होगा।
6.4	भूमि क्षेत्र की आवश्यकता	04 से 06 एकड़ प्रति मेगावाट (भौगोलिक स्थिति के आधार पर)।
6.5	आवेदन की शर्त	भूमि मालिक, किसी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में एक सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन के लिए पात्र होगा। एक ही भूमि मालिक द्वारा एक विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में एक से अधिक आवेदन जमा करने की स्थिति में, उसका 01 आवेदन को छोड़कर बाकी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि एक आवेदक / भूमि मालिक एक से अधिक विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के लिए आवेदन दे सकता है। एक से अधिक विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।

- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इच्छुक आवेदक द्वारा pmkusum.jbvn@gmail.com में जमा आवेदनों पर दी गई जानकारी, भूमि का सत्यापन सहित सभी पहलुओं पर विस्तृत जाँचोपरांत निगम के वेबसाइट www.jbvn.co.in पर सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन हेतु जमीन की सूची को अधिसूचित करेगा। इनके अतिरिक्त वैसे इच्छुक आवेदक जो वर्तमान अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest- EOI) की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाये हों वे भी निविदा प्रक्रिया में निगम के द्वारा निर्धारित की गई सभी मापदंड जो इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति में वर्णित हो, पूरा करने की स्थिति में भाग ले सकती है।
- अधिसूचित जमीन पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिष्ठापित होने वाली सौर ऊर्जा संयंत्र से सौर ऊर्जा क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अधिकतम रू0 3.09 प्रति यूनिट होगा।
- वैसे अधिसूचित भूमि मालिक किसान / किसानों का समूह / सहकारी समितियां / पंचायत / किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर्स आर्गेनाइजेशन) और जल उपयोगकर्ता संघ (वाटर यूजर्स एसोसिएशन) जो सौर ऊर्जा संयंत्रों की अधिष्ठापन करने में पुंजी की व्यवस्था करने में असमर्थ है, वे लीज के आधार पर सौर विकासकर्ता के साथ मिलकर निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में भूमि मालिक को अपने भूमि के बदले, पट्टे / लीज पर किराया मिलेगा जो रू0 / एकड़ प्रति माह अथवा रू0 प्रति यूनिट आधारित दर पर सौर विकासकर्ता से प्राप्त होगा। भूमि मालिक सुविधानुसार सौर विकासकर्ता के साथ तय की गई पट्टे / लीज की राशि अपने बैंक खाते में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा प्राप्त करने संबंधी विकल्प ले सकते हैं। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पट्टे / लीज की राशि को सौर विकासकर्ता से काट कर सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करेगी। हालांकि भूमि के लीज संबंधी समझौते हेतु दर सहित नियम एवं शर्तें भूमि मालिक एवं सौर विकासकर्ता के आपसी सहमति ही मान्य होगी।
- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिसूचित भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप होगा। निविदा (tender) प्रक्रिया दो चरणों में होगी। प्रथम चरण पर प्री-क्वालिफिकेशन मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को विद्युत क्रय की दर के निर्धारण हेतु जो अधिकतम रु0 3.09 प्रति यूनिट होगा, निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया के द्वितीय चरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात निगम द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु क्षमता आवंटन के साथ लेटर ऑफ एवार्ड (LOA) दी जाएगी। इकाइयों का क्षमता आवंटन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की विवेकाधीन शक्तियों पर होगी।

11. लेटर ऑफ एवार्ड (LOA) सभी सफल बोली दाताओं को तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन और 50 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए जारी किया जाएगा।
12. चयनित अक्षय ऊर्जा उत्पादक (Renewable Power Generator- RPG) अपने नव-निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र से 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उप केन्द्र को जोड़े जाने वाले समर्पित 11 के0भी0 लाईन बिछाने तथा 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उप केन्द्र पर 11 के0भी0 लाईन को जोड़ने वाले सभी विद्युत उपकरण लगाने के लिए जिम्मेवार होगा।
13. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, सभी चयनित अक्षय ऊर्जा उत्पादक के साथ सौर ऊर्जा क्रय हेतु पॉवर परचेज एग्रीमेंट (Power Purchase Agreement -PPA) हस्ताक्षर करेगा जो सौर ऊर्जा उत्पादन की वाणिज्यिक उपयोग की तिथि (Date of Commercial Operation- COD) से 25 साल के अवधि के लिए स्वीकार्य होगा। आपसी सहमति से 25 वर्ष के उपरांत पॉवर परचेज एग्रीमेंट (Power Purchase Agreement -PPA) का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

अधिक जानकारी के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम के वेबसाइट [www.jbvnल.co.in](http://www.jbvnل.co.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

झा0बि0वि0नि0लि0